दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 19.02.2025

निर्णय सुनाया गया: 25.02.2025

<u>नि.प्र.अ. 633/2023</u>

<u>RFA 633/2023</u>

राजेंद्र सचदेवा .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री निशांत नैन और श्री विशाल कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

मेसर्स ए.सी. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एच.के. शेखर, प्र 2 से 4 के लिए अधिवक्ता

कोरम:

न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

<u>निर्णय</u>

न्या. गिरीश कठपालिया:

1. यह अपील जिसके माध्यम से अपीलार्थी द्वारा निर्णय और डिक्री दिनांकित 22.05.2023 को चुनौती दी गई है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर धन वसूली के वाद में केवल वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के विरुद्ध वाद राशि की

आंशिक रूप से डिक्री की गई और शेष प्रत्यर्थीगण, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के निदेशक हैं, के विरुद्ध वाद खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी को भेजा गया नोटिस सही पते के अभाव में अप्रेषित लौट आया, किंतु अपीलार्थी ने आगे प्रयास न करने का विकल्प चुना, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के विरुद्ध वाद पहले ही डिक्री हो चुका था और वर्तमान अपील केवल शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध है। नोटिस की तामील होने पर, प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 ने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की है। उनके अनुरोध पर, मैंने दोनों पक्षकारगणों के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्कों को सुना और अपील के साथ दायर किए गए विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी परीक्षण किया है।

2. संक्षेप में कहें तो, इस अपील से संबंधित आवश्यक परिस्थितियाँ नीचे उल्लिखित की जाती हैं।

2.1 वर्तमान अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी तथा उसके निदेशकों, प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4, के विरुद्ध ₹11,00,000/- की वसूली हेतु वाद, जिसमें अभिवाकें निम्नलिखित हैं, दायर किया है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के निदेशक हैं, प्रत्यर्थी संख्या 1 के दैनिक व्यापारिक कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं देखरेख कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 के साथ उसकी मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण, अप्रैल 2015 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह प्रत्यर्थीगण संख्या 1 कंपनी के नाम पर

₹11,00,000/- का मैत्री ऋण (फ्रेंडली लोन (Friendly Loan) प्रदान करे, जिसकी व्यावसायिक स्थिति वित्तीय संकट से गुजर रही थी, और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उक्त ऋण का भुगतान दिनांक 31.12.2016 तक कर दिया जाएगा। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए, उसने सहमति दी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में एक चेक दिनांकित 07.04.2015 द्वारा ₹11,00,000/- का मैत्री ऋण, जिसे उसके बैंक द्वारा विधिवत स्वीकारा है, प्रदान किया है। जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह में उसने प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 से उक्त ऋण की अदायगी हेतु संपर्क किया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिनों के अंदर भुगतान कर देंगे। परंतु तत्पश्चात, जब उसने दिनांक 12.01.2017 को पुनः प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 से ऋण की अदायगी का अनुरोध किया, तो उन्होंने भुगतान करने से इंकार कर दिया और अपितु उसे धमकाया भी। अतः उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को उक्त ऋण की अदायगी हेतु मांग नोटिस दिनांकित 17.01.2017 जारी किया, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके पंजीकृत पते पर भेजा गया नोटिस अधूरा पता होने की रिपोर्ट के साथ अप्रेषित लौट आया, जबकि शेष प्रत्यर्थीगण को उनके आवासीय पतों पर भेजे गए नोटिस वापस नहीं लौटे। नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 ने उसे धमकियाँ देना प्रारंभ कर दिया। चूँकि मैत्री ऋण प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी को प्रदान किया गया था, जिसकी दैनिक कार्यवाहियों का संचालन शेष प्रत्यर्थीगण

कर रहे हैं, अतः अपीलार्थी के अनुसार सभी प्रत्यर्थीगण उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उत्तरदायी हैं।

2.2 चूँकि वाद के समन तामील किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया, अतः विचारण न्यायालय द्वारा उनका ऐसा करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।

2.3 विचारण के दौरान, अपीलार्थी अपने एकमात्र साक्षी के तौर पर उपस्थित हुआ और उसने शपथ लेकर अपनी अभिवाकों में बताई गई बातों का अभिसाक्ष्य दिया। अपीलार्थी ने अपनी प्रति-परीक्षा में, बतौर अभि.सा.-1 (PW-1) के रूप में यह बयान दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वह इसके सभी निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से जानता है; यह भी कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी को अपने मित्र प्रत्यर्थी संख्या 3 के अनुरोध पर ऋण प्रदान किया था, किन्तु उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसकी गवाही के समय तक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के निदेशक के पद पर बरकरार थे या नहीं।

2.4 उपरोक्त अभिवाकों एवं साक्ष्यों की पृष्ठभूमि में, माननीय विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री, यह कहते हुए कि चूँकि ऋण केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी को प्रदान किया गया था, पारित की है। अतः कंपनी की स्वतंत्र पहचान के दृष्टिगत शेष प्रत्यर्थीगण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा

सकता है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री शेष प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध पारित न करके केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के विरुद्ध पारित की गई थी।

2.5 अतः वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. अंतिम बहस के दौरान, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मुझे उपर्युक्त निवेदन एवं साक्ष्यों से अवगत कराया और यह प्रतिविरोध किया कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। अपीलार्थी की ओर से यह प्रतिविरोध किया गया कि उसने प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 द्वारा की गई "दुर्व्यपदेशन" (misrepresentation) के परिणामस्वरूप ऋण प्रदान किया था। यह प्रतिविरोध किया गया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऋण प्रदान करने के लिए "अभिप्रेरित" किया था, अतः उन्हें अपनी देयता से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि यह ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें कॉर्पोरेट वेल (कॉर्पोरेट बाधा) को भेदना चाहिए तथा सभी प्रत्यर्थीगण को संयुक्त एवं पृथक रूप से अपीलार्थी को ऋण राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपील पूर्णतः गुणागुण रहित है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ

द्वारा ***ट्रिस्टार कंसल्टेंट्स बनाम मेसर्स बनाम कस्टमर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य,*** आईएलआर (2007) I दिल्ली 1053 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए यह प्रतिविरोध किया है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 को अपीलार्थी को ऋण राशि संयुक्त एवं पृथक रूप से लौटाने हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऋण केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदान किया गया था, जो एक पृथक विधिक इकाई है।

5. अतः, वर्तमान अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कंपनी के निदेशकों की देयता कंपनी की देयता के साथ सहव्यापी (coextensive) है।

6. यह एक अतिसामान्य बात है कि कंपनी एक विधिक व्यक्तित्व (juristic entity) है, जो जीवित मानवों के माध्यम से कार्य करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से कंपनी का निदेशक मंडल कहा जाता है। जब तक विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए, किसी भी व्यक्तिगत निदेशक को कंपनी की ओर से कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी का निदेशक कंपनी की ओर से तभी कार्य कर सकता है जब उसे कंपनी के उपविधियों (Articles of the Company) अथवा निदेशक मंडल द्वारा पारित किसी विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा करने का अधिकार प्रदान किया गया हो। निदेशकों को कंपनी के अभिकर्ता (agents) के रूप में समझा जाता है क्योंकि कंपनी के प्रति वे न्यासीय (fiduciary) क्षमता में कार्य करते हैं, जिससे वे कंपनी के हित में कार्य करते हैं, और उनके कार्य केवल उसी सीमा तक मान्य होते हैं जिस सीमा तक

उन्हें कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। निदेशकों द्वारा निभाई जाने वाली ऐसी न्यासीय (fiduciary) जिम्मेदारी कंपनी के प्रति होती है, न कि उन तृतीय पक्षकारों के प्रति जो कंपनी के साथ लेन-देन करते हैं। निदेशकों को कंपनी के अभिकर्ता (agents) के रूप में पारंपरिक अर्थों में, तृतीय पक्षकार के संदर्भ में, नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 230 यह उपबंधित करती है कि जब तक कोई अभिकर्ता स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बाध्य न करे, वह अपने प्रधान(प्रमुख) की ओर से किए गए संविदाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है।

7. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 में से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से स्वयं को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 कंपनी ऋण राशि वापस करेगी। यह भी निर्विवाद है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 में से किसी ने भी यह आश्वासन देने हेतु कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति (indemnity) आदि जारी नहीं की कि वे ऋण राशि वापस करेंगे।

8. गारंटी/क्षतिपूर्ति (indemnity) के अभाव में, ऋण राशि वापस करने की देयता प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 पर तभी आरोपित की जा सकती थी जब वे कदाचार (malfeasance) अथवा दुराचार (misfeasance) के दोषी होते, जिसका उल्लेख अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है। जहाँ कोई निदेशक किसी तृतीय पक्षकार को क्षति पहुँचाने के लिए कोई दुराचार (tort) करता है, वहाँ

निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकता है। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 में से किसी ने भी कोई मिथ्या दुर्व्यपदेशन (false representation) किया हो और उसे प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऋण देने के लिए अभिप्रेरित किया हो। केवल "दुर्व्यपदेशन" (misrepresentation) और "अभिप्रेरण" (inducement) जैसे शब्दों का प्रयोग तर्कों के दौरान करना, उस संबंध में कोई मामला स्थापित नहीं करता है।

9. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले में अपीलार्थी की अभिवाकें मात्र यह थी कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और 3 के साथ उसकी मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण उसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऋण देने के उनके अनुरोध को स्वीकार किया। मात्र ऋण देने के अनुरोध को अत्यधिक विस्तार देकर अभिप्रेरण (inducement) के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह किसी का भी मामला नहीं है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 में से किसी ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी की वित्तीय स्थिति का कोई मिथ्या चित्र प्रस्तुत किया हो और अपीलार्थी को अधिक लाभ या यहाँ तक कि पुनर्भुगतान के आश्वासन के साथ प्रलोभन दिया हो। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 में से किसी के भी ऐसे किसी कार्य का, जो दुराचार (tort) के दायरे में आता हो, उल्लेख तक नहीं किया है।

10. अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 के मध्य न तो किसी प्रकार की गारंटी/क्षतिपूर्ति (indemnity) के रूप में कोई संविदा है और न ही प्रतिवादीगण में से किसी के विरुद्ध किसी दुराचार (tort)

के कृत्य का कोई अभियोग, प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 को अपीलार्थी को ऋण राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु, प्रस्तुत किया गया है।

11. मैं आक्षेपित निर्णय और डिक्री में कोई त्रुटि नहीं पाता, अतः उन्हें बरकरार रखा जाता है । अपील खारिज की जाती है।

गिरीश कठपालिया

(न्यायमूर्ति)

फरवरी 25,2025/आर.के./ए.एस.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*